कार्यालय
वनमण्डलाधिकारी उत्तर (सामान्य) वनमण्डल, बालाघाट म.प्र.
e-mail : dfotnbghat@mp.gov.in Telephone No. : (07632) 247044

क्रमांक / तक.कक्ष / 297 बालाघाट, दिनांक 22 / 01 / 2025

प्रति,

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1,
बालाघाट (म.प्र.)

विषय :— बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत चालीसबोडी कुल्पा—माटे व्हाया बम्हनी तक मार्ग निर्माण हेतु दक्षिण बालाघाट वनमंडल की 5.376 हेक्टेयर एवं उत्तर बालाघाट वनमंडल की 0.612 हेक्टेयर कुल 5.988 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/ROAD/156090/2022)

संदर्भ :—
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-MPR 022/2023-BHO दिनांक 24.04.2024
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) वन भवन, मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ—5 / 1257 / 2023 / 10—11 / 2270 भोपाल, दिनांक 24.07.2024।
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / 4466 दिनांक 18.12.2024

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जो आपकी ओर भी पृष्ठांकित है। उक्त विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 03 में चाहे अनुसार रोड़ के किनारे—किनारे रोपण हेतु योजना तैयार की जाकर वन संरक्षक बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट के आदेश क्रमांक / व्यय आं. / 179 बालाघाट दिनांक 02.12.2024 से प्राप्त अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति उपरान्त रोपण योजना में आंकलित कुल लागत राशि 34,02,252 / — (चौंतीस लाख, दो हजार दौ सौ बावन रूपये) ई—पोर्टल के माध्यम से शासन के कैम्पा (CAMPA) मद में जमा करते हुये, जमा की गई राशि का बैंक द्वारा जारी UTR No. की हस्ताक्षरित प्रति सहित पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में चाही गई जानकारी का प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को भेजते हुये औपचारिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया जा सकें।

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता प्रदान करें।

AO forward to PCAP 10.2

(नेहा श्रीवास्तव)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
उत्तर वनमण्डल (सा.) बालाघाट

पृष्ठां. क्रमांक / तक.कक्ष / 298 बालाघाट, दिनांक 22 / 01 / 2025
प्रतिलिपि :—
1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू—प्रबंध) वन भवन, तुलसी नगर, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक, बालाघाट वनवृत्त, बालाघाट की ओर सादर सम्प्रेषित।
3. वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण (सा.) बालाघाट वनमण्डल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. शाखा प्रभारी, व्यय आं. उत्तर (सा.) वनमण्डल बालाघाट की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

AO
TS 24.1.25

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर वनमण्डल (सा.) बालाघाट

D:\Sharad\Letter\Genral Letter.docx 393

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक वनवृत्त,
बालाघाट, मध्यप्रदेश – 481001

Email- cfbalaghat@mpforest.org, cfbghat@mp.gov.in दूरभाष : 07632-241201 फैक्स : 07632-240266

–::आदेश ::–

आदेश क्रमांक / व्यय.आ. / 179 **बालाघाट, दिनांक** 2.12.2024

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ / 1194 / 191 / 2022 / 9 नियम / चार दिनांक 14.07.2022 (बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स वाल्यूम–2) द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक–2 एम.पी.आर.021 / 2023 बी.एच.ओ.–I/71687 / 2024 दिनांक 09.05.2024 में उल्लेखित शर्तो के अनुसार बालाघाट जिले के परसवाड़ा तहसील अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के तहत चालीसबोड़ी–कुल्पा–माटे व्हाया बम्हनी मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य हेतु प्रभावित वन भूमि रकबा 5.988 हेक्टेयर का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन का शासन स्वीकृति प्रदान करने बाबत् (प्रकरण कमांक FP/MP/Road/156090/2022) के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार 1.00 हेक्टेयर असिंचित सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य की वर्ष 2026–27 से (ग्यारह वर्षिय) तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

कार्य का विवरण

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	कार्य नाम	स्थल	रकबा	प्राक्कलन कुल राशि
1	उत्तर उकवा सामान्य	प्रधान मंत्री सड़क योजना अन्तर्गत सड़क के किनारे वृक्षारोपण	वन कक्ष कमांक 1810	1.00	3402252/-

1 कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावें।
2 स्वीकृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट राशि का व्यय स्वीकृत नामर्स , जाबदर एवं उपलब्ध बजट आवंटन तक सीमित रहेगा। उपरोक्त कार्य के संपादन के पूर्व कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों का भलीभांति अवलोकन किया जाये, किसी भी परिस्थिति में कार्य आयोजना से विचलन होने पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बगैर कार्य का संपादन न कराया जाये।
3 उपरोक्त कार्य **CAF Rules** 2018 के नियमों का पालन करते हुये किया जाना सुनिश्चित करें।
4 कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाये।
5 वृक्षारोपण पंजी, माप पुस्तिका (M.B.) आदि अभिलेख विधिवत संधारित किये जाये।
6 कैम्पा विंग के समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

स्वीकृत पंजी पृष्ठ क्रमांक .... अ.क्र. .... इन्द्राज किया गया।

(ए.पी.एस.सेंगर)
भा.व.से.
वनसंरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

OFFICE OF THE D... NORTH (T) DN BALAGHAT No. 2469 Dt. 3.12.24

बालाघाट, दिनांक 2.12.2024

पृ.क्र. क्रमांक / 5167

प्रतिलिपि :– वनमंडलाधिकारी उत्तर सामान्य वनमंडल बालाघाट की ओर उनके पत्र क्रमांक / व्यय.आ. / 2313 दिनांक 11.11.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनसंरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

Scanned with OKEN Scanner